## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
## पीठासीन अधिकारी :— मूल चन्द आर.ए.एस.

(1) अपील संख्या 2009 / 00032 (119 / 2009) 223 आरटीएक्ट

1. आत्माराम पुत्र रामचन्द जाति जाट निवासी रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. प्रेमचन्द पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ। —अपीलांण्ट

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ हाल आबाद केन्द्री कारागृह हनुमानगढ जरिये पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ
2. रामचन्द्र पुत्र मेधाराम जाति जाट निवासी राससूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
3. हनुमान पुत्र रामचन्द जाति जाट निवासी रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
4. लक्ष्मीनारायण पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ। —रेस्पोडेण्ट

उपस्थितिः—
श्री प्रद्युमनसिंह परमार अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री. विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पोडण्ट संख्या 1 व 2
श्री राकेश गोदारा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 3 व 4

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विरूद्ध निण्रय व डिक्री दिनांक 28.01.1997 द्वारा सहायक कलक्टर संगरिया प्रकरण संख्या 438 / 1996 बुअनवानी सत्यनारायण बनाम रामचन्द्र आदि

(2) अपील संख्या 2013 / 00259 (112 / 2013)

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ (राज.)

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ हाल आबाद केन्द्री कारागृह हनुमानगढ जरिये पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ
2. रामचन्द्र पुत्र मेधाराम जाति जाट निवासी राससूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
3. हनुमान पुत्र रामचन्द जाति जाट निवासी रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

4. आत्माराम पुत्र रामचन्द जाति जाट निवासी रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
5. प्रेमचन्द पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानंगढ।

--रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निण्रय व डिक्री दिनांक 28.01.1997 द्वारा सहायक कलक्टर संगरिया प्रकरण संख्या 438/1996 बअनवानी सत्यनारायण बनाम रामचन्द्र आदि

उपस्थितिः--
श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री शमशेर सिह संधू अधिवक्ता रेस्पोडण्ट संख्या 1

निर्णय दिनांकः--12.07.2019

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि उपखण्ड अधिकारी राजस्व संगरिया के यहां रेस्पोडेण्ट संख्या 1 वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रतिवादी सं0 2 के विरूद्ध प्रस्तुत किया। वाद अनुतोष चाहा कि चक 7 आइडीजी व चक 7 इटीपी में वादी 1.912 है0 भूमि का जन्मजात खातेदार कातश्कार है। प्रतिवादी का नाम कलमजन कर वादी का नाम दर्ज किया जावे। प्रतिवादी द्वारा जरिये इकबालदावा दावा में अंकित कथनों को स्वीकार करने के आधार पर विचारण न्यायालय ने दावा डिक्री किया जिससे व्यथित होकर आत्माराम व प्रेमचन्द अपीलाट द्वारा अपील संख्या 119/2009 एवं लक्ष्मीनारायण अपीलाण्ट ने अपील संख्या 122/2013 पृथक पृथक प्रस्तुत की। अपील संख्या 122/2013 अनवानी लक्ष्मीनारायण बनाम सत्यनारायण को अपील संख्या 119/09 अनवानी आत्माराम बनाम सत्यनारायण के साथ कंसोलीडेट की गई। एक ही निर्णय के विरूद्ध दो अपीलें होने के कारण दोनों का एक साथ निर्णय किया जाता है।
2. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में उद्घोषणा का दावा डिक्री हुआ है दोनों अपीलें बतौर तृतीय पक्ष प्रस्तुत हुई है। अपीलाण्ट के पूर्वज रामचन्द की प्रथम पत्नी सोना देवी से लक्ष्मीनारायण, हनुमान आत्माराम व प्रेमचन्द चार पुत्र हैं। द्वितीय पत्नी सावित्री देवी से सत्यनारायण एक पुत्र है। सोनादेवी की 32--1/2 बीघा भूमि थी। सोना देवी 1--1--73 को फौत होने पर उसके चारों पुत्र एवं पति रामचन्द के नाम भूमि बहिस्सा बराबर दर्ज हुई। रामचन्द्र के 1/5 हिस्सा की पैतृक भूमि होने का सत्यनारायण ने दावा करके उसके रामचन्द्र का इकबालदावा प्रस्तुत करवाकर दावा गलत रूप से डिक्री करवाया है। रामचन्द्र के जीवन काल में सत्यनारायण अकेले का रामचन्द्र की भूमि में कोई अधिकार अर्जित नहीं होते थे। भूमि पैतृक होने का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। रामचन्द्र की भूमि में रामचन्द्र के अन्य पुत्रों का भी अधिकार होने से अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध पारित किया गया है। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण उनके द्वारा बतौर तृतीय पक्ष अपीलें प्रस्तुत की जा रही हैं। इसलिए अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने बहस कर कथन किया कि रामचन्द्र का प्रश्नगत भूमि में 1/5 हिस्सा था जिसे उसके द्वारा अपनी सहमति विचारण न्यायालय के समक्ष दी जाकर दावा डिक्री करवाया है। अपीलाधीन निर्णय सहमति के आधार पर पारित किया गया है जिसकी अपील धारा 96 (3) में दिये प्रावधानों के अनुसार अपील पोषणीय नहीं है। रामचन्द्र अपनी भूमि का मालिक है। वह अपना टाईटल किसी को भी कानूनन हस्तान्तरित कर सकता है। इसलिए अपीलाण्ट की अपील पोषणीय नहीं है न ही अपील भीतर मियाद है। इसलिंए अपील खारिज किये जाने का कथन किंया। अपने कथनों के समर्थन में 2015 आरबीजे पेज 671 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. सत्यनारायण रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने विचारण न्यायालय में रामचन्द्र को एकमात्र पक्षकार बनाते हुए वाद प्रस्तुत कर रामचन्द्र का इकबालदावा प्रस्तुत करवाकर दावा डिक्री करवा लिया। जबकि अपीलाण्ट भी रामचन्द्र के वारिस होने के कारण दावा में आवश्यक पक्षकार थे। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की यह आपत्ति की अपीलाधीन निर्णय सहमति के आधार पर पारित किया होने से धारा 96 (3) सीपीसी के तहत अपील पोषणीय नहीं है स्वीकार योग्य नहीं है। क्योंकि अपीलाण्ट की विचारण न्यायालय के समक्ष न तो कोई सहमति थी न ही वे पक्षकार थे। ऐसी स्थिति में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार कर बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।

7. सत्यनारायण रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने विचारण न्यायालय में रामचन्द्र को एकमात्र पक्षकार बनाते हुए वाद प्रस्तुत कर रामचन्द्र का इकबालदावा प्रस्तुत करवाकर दावा डिक्री करवा लिया। जबकि अपीलाण्ट भी रामचन्द्र के वारिस होने के कारण दावा में आवश्यक पक्षकार थे। इन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है। लिहाजा अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान अपीलाण्टगण को नहीं होना स्वाभाविक है। अतः अपीलाण्टगण का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। दोनों अपीलें अंदर मियाद शुमार की जाती हैं।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

8. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेण्ट संख्या 1 सत्यनारायण ने उदघोषणा का वाद प्रस्तुत कर अपने पिता रामचन्द्र के नाम दर्ज चक 7 पीटीपी व चक 7 आईडीजी की भूमि का वादी/रेस्पोडेण्ट सं. 1 को खातेदार काश्तकार दर्ज करने एवं रामचन्द्र का नाम कलमजन करने का अनुतोष चाहा। जिसमें रामचन्द्र ने उपस्थित आकर इकबालदावा प्रस्तुत किया जिस आधार पर विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय से दावा डिक्री कर दिया। अपीलाण्ट का यह कथन है कि प्रश्नगत भूमि रामचन्द्र को उसकी प्रथम पत्नी सोनादेवी से प्राप्त हुई थी। इसलिए रामचन्द्र की भूमि में अपीलाण्ट का भी हक हिस्सा है। सत्यनारायण अकेले का इस भूमि में हक नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रश्नगत भूमि के पैतृक होने संबंधि कोई दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद नहीं है। जबकि सत्यनारायण रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अपने वाद की मद संख्या 3 में यह कथन किये हैं कि प्रश्नगत भूमि उनकी विरासतन होने के कारण वादी का उनमें जन्मजात हिस्सा है। जबकि वादी के द्वारा रामचन्द्र के शेष

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

संतानों को दावे में पक्षकार नहीं बनाया जबकि कानूनन वे वाद में आवश्यक पक्षकार थे। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध है जो अपास्त किये जाने योग्य है एवं दोनों अपीलें आंशिक स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है कि वे रामचन्द्र के समस्त वारिसान को वाद में पक्षकार बनाते हुए उन्हें साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का नियमानुसार गुणावगुण पर निर्णय प्रसारित करें।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर दोनों अपीलें आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी राजस्व संगरिया का प्रकरण संख्या 438/96 निर्णय व डिक्री दिनांक 28.01.97 निरस्त किया जाता है। प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह रामचन्द्र के समस्त वारिसान को वाद में पक्षकार बनाते हुए उन्हें साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का नियमानुसार गुणावगुण पर निर्णय प्रसारित करे। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में पृथक पृथक रखी जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

10. निर्णय आज दिनांक 12.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

12/7/19

(मूल चन्द आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official